तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.न. 110/2024 हरीसिंह वगै०/राज. सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/8/25 को पेश हो। [signature]	
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० प्रा० पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर हस्ता० कि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दा० दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— ~~04 / 2023~~ 110/2024

1. हरी सिंह
2. प्रेमराज
3. राजवीर पुत्रान सामन्ता
4. लवकुश पुत्र खैमा
5. द्रोपती वेबा खैमा
6. प्रताप
7. राजेश
8. लक्ष्मन पुत्रान दुरजन
9. डालचन्द
10. महाराजसिंह पुत्रान रामरूप
11. बन्टी
12. जमसत
13. जितेन्द्र पुत्रान कमल सिंह समस्त जातियान जाटव निवासी बाके ग्राम एक्टाखरैरा तहसील भरतपुर जिला भरतपुर राज0।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

..............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री मुकेश चन्द एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—29.08.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 172 / 20.29.30.33 रकवा 63 बीघा 09 विस्वा बाके ग्राम रूंध खरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है जिसका हाल बन्दोबस्त नया खसरा नम्बर 185, 186 है उक्त आराजी वादीगण के पूर्वजों की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है वादीगण अपने पूर्वजों के जीवन काल से ही अब तक निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मुताबिक हिस्सा के मौके पर कब्जा काश्त है। विवादित भूमी की किस्म कस्टोडियन दर्ज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय से ही चला आ रहा है विवादित आराजी वादीगण के पूर्वज सामन्ता व रामरूप ने अपने जीवन काल में बिना किसी व्यवधान के निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे थे पूर्वजों के ही जीवन काल से लेकर आज तक वादीगण की भी निरन्तर कब्जा काश्त है और राजस्व लगान भी अदा करते चले आ रहे है वादीगण के पूर्वजों का देहान्त हो

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

चुका है वादीगण संख्या 1 लगा0 7 व 13 के पूर्वज सामन्ता के वारिसान है वादीगण संख्या 1 लगा0 7 व 13 पर पूर्वज सामन्ता की कब्जा काश्त रकवा 46 बीघा पर है उक्त कब्जा काश्त पूर्व से कायम चली आ रही है तथा वादीगण 8 लगायत 12 का पूर्वज रामरूप था वादीगण के पूर्वज रामरूप की कब्जा काश्त रकवा 17 बीघा पर थी उक्त आराजी पर पूर्वज रामरूप के जीवन काल से वादीगण की मुताबिक हिस्सा के काबिज चले आ रहे है। विवादित आराजी की किस्म कस्टोडियन को प्रतिवादी ने बिना किसी सक्षम आदेश एवं आथॉरिटी के किस्म बदल कर चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है जबकि प्रतिवादी को किसी आराजी की किस्म को बदलने व परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है प्रतिवादी ने यह कृत्य आने अपने अधिकार क्षेत्र से परे एवं कानून का उल्लंघन करनते हुय किया है प्रतिवादी का आराजी की किस्म बदलने व परिवर्तित करने का कृत्य अवैधानिक एवं मौके एवं कानून के खिलाफ है उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन कर दिनांक 22/11/2022 को अपने साथ अधीन कर्मचारियों को लेकर मौके पर पहुंच गया एवं आराजी की पैमाईश कर आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी को ताफैसला बाद जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने जबाव पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम रूंध खरका की जमाबंदी सम्बत् 2070—73 के खाता संख्या 116 पर दर्ज खसरा नम्बर 32 रकवा 8—14 बीघा खसरा नम्बर 150/29 रकवा 0—16बीघा खसरा नम्बर 151/29 रकवा 1—02बीघा ख.नं. 152/29 रकवा 1—04 बीघा ख.नं. 153/29 रकवा 1—07 बीघा ख.नं. 167/33 रकवा 1—14 बीघा ख. नं. 168/33 रकवा 1—16 बीघा ख.नं. 169/33 रकवा 1—06 बीघा ख.नं. 170/33 रकवा 1—09 बीघा ख.नं. 177/34 रकवा 31—07 बीघा ख.नं. 184/37 रकवा 50—00 बीघा ख.नं. 278/20—29 रकवा 6—06 बीघा ख.नं. 279/20—29 रकवा 2—18 बीघा ख.नं. 280/20—29 रकवा 4—03 बीघा खसरा नम्बर 283/20—33 रकवा 1—19 बीघा खसरा नम्बर 284/20—33 रकवा 4—18 बीघा खसरा नम्बर 285/20—29 रकवा 4—00 बीघा खसरा नम्बर 286/29—33 रकवा 4—15 बीघा खसरा नम्बर 287/29—33 रकवा 9—04 बीघा खसरा नम्बर 288/29—33 रकवा 2—19 बीघा खसरा नम्बर 289/20—29 रकवा 6—19 बीघा खसरा नम्बर 290/29—33 रकवा 4—09 बीघा खसरा नम्बर 291/29—30—33 रकवा 8—01 बीघा खसरा नम्बर 294/20—29—30—33 रकवा 104—15 बीघा कुल किता 24 कुल रकवा 266—01 बीघा किस्म कदीम जो कि हरफूल,परसादी पि. बसन्ता व.हि.बरा. 1/21 वगै. के नाम दर्ज रिकार्ड है जो कि पुराने नक्शा से खसरा नम्बर—20,29,30,33,34,37 में दर्ज है। उक्त नक्शे (पुराने) में किसी भी प्रकार की कोई तरमीम नहीं हो रखी उक्त सभी खसरों में काश्तकार मनवट/आपसी सहमति से काबिज काश्त करते आ रहे है। जमाबंदी संबत् 2070—73 के अनुसार खाता संख्या 121 पर दर्ज खसरा नम्बर 295/20—29—30—33 रकवा 63—09 बीघा किस्म कदीम जो कि ग्रामवासियों के द्वारा चराई अथवा दूसरे प्रयोजनों के लिये धारण की गई भूमि शामलात देह बिना बोयी गई भूमी के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिसल सन् 2010—2030 में जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 के खाता संख्या 116 पर दर्ज खसरा नम्बर निम्न प्रकार से दर्ज है— खसरा नम्बर 148/20—29 रकवा 6—06 बीघा खसरा नम्बर 149/20—29 रकवा 2—18 बीघा खसरा

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

नम्बर 150/29 रकवा 0–16 बीघा खसरा नम्बर 151/29 रकवा 1–02 बीघा खसरा नम्बर 152/29 रकवा 1–04 बीघा खसरा नम्बर 153/29 रकवा 1–02 बीघा खसरा नम्बर 154/20–29 रकबा 4–03 बीघा खसरा नम्बर 160/20–33 रकबा 4–18 बीघा खसरा नम्बर 161/20–29 रकबा 4–00 बीघा खसरा नम्बर 159/20–33 रकबा 1–19 बीघा खसरा नम्बर 162/29–33 रकबा 4–15 बीघा खसरा नम्बर 163/29–33 रकबा 9–04 बीघा खसरा नम्बर 164/29–33 रकबा 2–19 बीघा खसरा नम्बर 165/20–29–33 रकबा 6–19 बीघा खसरा नम्बर 166/29–33 रकबा 4–09 बीघा खसरा नम्बर 172/20–29–30–33 रकबा 104–15 बीघा खसरा नम्बर 169/33 रकबा 1–06 बीघा खसरा नम्बर 170/33 रकबा 1–09 बीघा खसरा नम्बर 168/33 रकबा 1–16 बीघा खसरा नम्बर 167/33 रकबा 1–14 बीघा खसरा नम्बर 171/20–30–33 रकबा 8–05 बीघा खसरा नम्बर 32 रकबा 8–14 बीघा खसरा नम्वर 34 मिन रकबा 31–07 बीघा खसरा नम्बर 37 मिन रकबा 50–00 बीघा कुल किता 24 रकवा 266 बीघा जो कि हरफूल, परसादी पिस. बसन्ता व. हि. बराबर 1/21 वगै. के नाम कस्टोडियन खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2075–78 में दर्ज खाता संख्या 121 पर दर्ज खसरे निम्न प्रकार से है– खसरा नम्बर 145 रकवा 1.02है0 खसरा नम्बर 146 रकवा 0.47है0 खसरा नम्बर 147 रकवा 0.13है0 खसरा नम्बर 148 रकवा 0.18है0 खसरा नम्वर 149 रकवा 0.19है0 खसरा नम्बर 150 रकवा 0.18है0 खसरा नम्बर 151 रकवा 0.67है0 खसरा नम्बर 162 रकवा 0.79है0 खसरा नम्बर 163 रकवा 0.64है0 खसरा नम्बर 164 रकवा 0.32है0 खसरा नम्बर 165 रकवा 0.77है0 खसरा नम्बर 166 रकवा 1.49है0 खसरा नम्बर 167 रकवा 0. 48है0 खसरा नम्बर 168 रकवा 1.13है0 खसरा नम्बर 169 रकवा 0.72है0 खसरा नम्बर 170 रकवा 8.52है0 खसरा नम्बर 171 रकवा 2.55है0 खसरा नम्बर 172 रकवा 0.21है0 खसरा नम्वर 173 रकवा 0.24है0 खसरा नम्बर 174 रकवा 0.29है0 खसरा नम्बर 175 रकवा 0.27है0 खसरा नम्बर 176 रकवा 0.30है0 खसरा नम्बर 177 रकवा 0.95है0 खसरा नम्बर 178 रकवा 4.95है0 खसरा नम्बर 180 रकवा 1.41है0 खसरा नम्बर 190 रकवा 5.06है0 खसरा नम्बर 192/238 रकवा 1.91है0 खसरा नम्बर 194 रकवा 6.19है0 किता 28 रकवा 43.02है0 जो कि हरफूल,परसादी पिस. बसन्ता बगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है वर्तमान में उक्त सभी खसरों पर माननीय न्यायालय एसीएम साहब उच्चैन व एडीम सहाब भरतपुर का मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन नोट लगा हुआ है। पुराना खसरा नम्बर 295/20–29–30–33 रकबा 63–09 बीघा जिससे नये खसरा मुताबिक जमाबंदी संवत 2075–78 के अनुसार खसरा नम्बर 242/185 रकबा 2.56 हैक्टे. किस्म बारानी 3 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविदयालय उच्चैन के नाम दर्ज रिकार्ड है व खसरा नम्बर 244/243 रकबा 2.15 हैक्टे. किस्म बारानी 3 जो कि राजकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थान उच्चैन के नाम दर्ज रिकार्ड है व खसरा नम्बर 245/243 रकवा 0.24है0 किस्म बरानी 3 जोकि ग्रामवासियों द्वारा चराई अथवा दुसरे प्रयोजनों सम्मलित प्रयोजनों के लिये धारण की शामलात देह हिस्सा पूर्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी खसरा नम्बर 186 रकवा 5.32है0 किस्म बरानी 3 जोकि कृषि मंडी समिति उच्चैन के नाम दर्ज रिकार्ड है। पुराना नक्शा व नये सैटलमेंन्ट नक्शे में भिन्नता है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण का निस्तारण पटवार स्तर पर संभंब नहीं है। उक्त प्रकरण का निस्तारण सैटलमेन्ट विभाग द्वारा रीसर्वे के द्वारा किया जाना उचित होगा।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया किया कि उक्त विवादित आराजी उक्त आराजी वादीगण के पूर्वजों की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है वादीगण अपने पूर्वजों के जीवन काल से ही अब तक निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मुताबिक हिस्सा के मौके पर कब्जा काश्त है। विवादित भूमी की किस्म कस्टोडियन दर्ज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय से ही चला आ रहा है विवादित आराजी वादीगण के पूर्वज सामन्ता व रामरूप ने अपने जीवन काल में बिना किसी व्यवधान के निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे थे पूर्वजों के ही जीवन काल से लेकर आज तक वादीगण की भी निरन्तर कब्जा काश्त है और राजस्व लगान भी अदा करते चले आ रहे है। विवादित आराजी की किस्म कस्टोडियन को प्रतिवादी ने बिना किसी सक्षम आदेश एवं आथॉरिटी के किस्म बदल कर चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है जबकि प्रतिवादी को किसी आराजी की किस्म को बदलने व परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी उक्त विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहता है जिसके कारण अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के जबाव से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 242/185 रकबा 2.56 हैक्टे. किस्म बारानी 3 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविदयालय उच्चैन के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं आराजी खसरा नम्बर 186 रकवा 5.32है0 किस्म बरानी 3 जोकि कृषि मंडी समिति उच्चैन के नाम दर्ज रिकार्ड है ऐसी स्थिति स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीगण की कोई कब्जा काश्त नहीं है और ना ही विवादित आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर